प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम हरिजन पुत्र श्री घिराहू, निवासी जनपद-गोरखपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक-08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम हरिजन पुत्र श्री घिराहू, हाटा वाजार, थाना-गगहा, जिला-गोरखपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 12.11.2010 को कुमारी पीड़िता आयु लगभग 10 वर्ष के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को एस0टी0नं0-104/2011 में धारा-376 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, गोरखपुर के आदेश दिनांक 03.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी कारित किया गया अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाला अपराध है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध किए जाने के अवसर से इन्कार नही किये जाने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने पर पुनः गम्भीर प्रकृति के अपराधों में लिप्त होने, रिहाई होने पर समाज में असुरक्षा व डर का माहौल बन सकता है जिसके कारण आगे निरूद्ध रखना आवश्यक होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2010 को कुमारी पीड़िता आयु लगभग 10 वर्ष के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जयराम हरिजन पुत्र श्री घिराहू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम हरिजन (बन्दी संख्या-35/2023) पुत्र श्री घिराहू, निवासी जनपद-गोरखपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-589/2026/1863(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- जिला कारागार संतकबीर नगर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-589/2026/1863/22-2-2025-17(1062)/2025

दिनांक: 21 मई, 2026 का संलग्नक

जिला कारागार संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयराम हरिजन पुत्र श्री घिराहू, हाटा वाजार, थाना-गगहा, जिला-गोरखपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 12.11.2010 को कुमारी पीड़िता आयु लगभग 10 वर्ष के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को एस0टी0नं0-104/2011 में धारा-376 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, गोरखपुर के आदेश दिनांक 03.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी कारित किया गया अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाला अपराध है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध किए जाने के अवसर से इन्कार नही किये जाने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने पर पुनः गम्भीर प्रकृति के अपराधों में लिप्त होने, रिहाई होने पर समाज में असुरक्षा व डर का माहौल बन सकता है जिसके कारण आगे निरूद्ध रखना आवश्यक होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2010 को कुमारी पीड़िता आयु लगभग 10 वर्ष के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जयराम हरिजन पुत्र श्री घिराहू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।